

## नियमावली

1. संस्था का नाम : श्री रामफेर शिवफेर शिवा समिति
2. संस्था का पूरा पता : ग्राम व पोस्ट-निगड़ी, तहसील-मिल्कीपुर, जिला-फैजाबाद
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :  
 आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था को निःस्वार्थ भाव से एक बार में 2000/- रूपया वार्षिक नकद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति चल या अचल रूप में प्रदान करेगा वह संस्था का आजीवन सदस्य कहलायेगा।  
 सामान्य सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 101/रूपया सालाना चन्दा प्रदान करेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।

5. सदस्यता की समाप्ति :



- मृत्यु हो जाने पर।  
 पागल या दिवालिया हो जाने पर।  
 संस्था के प्रति हानि कर कार्य करने पर।  
 अविश्वास प्रस्ताव या त्यागपत्र पारित होने पर।  
 नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।  
 नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न अदा करने पर।  
 लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर।  
 प्राथमिक सदस्य अवधि में अनुशासनहीनता एवं अनैतिक कार्य में लिप्त होने पर।

6. संस्था के अंग : 1 साधारण सभा 2 प्रबंधकारिणी समिति।

साधारण सभा गठन

सत्य प्रतिलिपि

संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

बैठकों

उप निम्नलिखित  
 फर्न समितियों तथा विद्वत्  
 समिति

साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि

18/12/12

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।

गणपूर्ति

साधारण सभा के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

वार्षिक अधिवेशन

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबंधकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।

साधारण सभा के कर्तव्य :

1. प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
3. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
4. संस्था के नियमों में संशोधन प्रक्रिया करना।

8. प्रबंधकारिणी समिति :

गठन

साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबंधकारिणी का गठन होगा, जिसमें अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, प्रबंधक/सचिव एक, कोषाध्यक्ष एक तथा पाँच सदस्य सहित कुल संख्या 9 होगी।



Vivek

Principal  
 Dr. Rajkumar Ram Sunder Yadav  
 Institute of Medical Sciences,  
 Ghazipur, Mirzapur, Ayodhya

- वेब : पबंधकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में कम से कम एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय आहुति की जा सकती है।
- सूचना : पबंधकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम सात दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना तीन दिन पूर्व देना अनिवार्य होगा।
- गणपूर्ति : पबंधकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्य संख्या का 2/3 भाग बहुमत कोरम होगा।
- रिक्त स्थानों की पूर्ति : पबंधकारिणी समिति के रिक्त स्थान होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिये की जायेगी।
- पबंधकारिणी समिति के कर्तव्य



कार्यकाल

- 1 संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।
- 2 संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।
- 3 संस्था की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
- 4 संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, समाज कल्याण विभाग तथा भूमि-भवन दान स्वरूप दान प्राप्त करना एवं भवन आदि का निर्माण करना।
- 5 पबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को प्रबंध द्वारा ही लिखित पत्रों के अनुसार कार्य करना।
- 6 प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल पांच साल का होगा।

9. प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

- |              |    |  |
|--------------|----|--|
| अध्यक्ष      | 1  | सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।  |
|              | 2  | बैठकों के लिए दिनांक का अनुमोदन, परिवर्तन एवं स्थगित करना।   |
|              | 3  | बैठक का एजेण्डा तैयार करना।  |
|              | 4  | संस्था के बैठकों की सूची प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों को देना।  |
| उपाध्यक्ष    | 5  | संस्था द्वारा संचालित केन्द्रों की व्यवस्था करना।  |
|              | 6  | अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यक्ष के कार्यों में सहयोग प्रदान करना। |
| प्रबंधक/सचिव | 7  | समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना।   |
|              | 8  | संस्था के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना।   |
|              | 9  | पक्ष-विपक्ष के मुकदमों की पैरवी करना।  |
|              | 10 | पारित बजट के अन्तर्गत व्यय को स्वीकृति प्रदान करना।  |
|              | 11 | कर्मचारियों/अध्यापकों को नियुक्ति, पदोन्नति एवं सेवा मुक्त करना।   |
|              | 12 | सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना तथा नये सदस्यों को बनाना।  |
|              | 13 | समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।   |
|              | 14 | बिल एवं वाउचरों पर हस्ताक्षर करना।   |
|              | 15 | आवश्यकतानुसार उपसमितियों का गठन करना।  |
|              | 16 | समस्त संस्थाओं/एजेन्सियों/विभाग/मंत्रालय से संबंधित समस्त प्रपत्रों, लेखों-विलेखों पर हस्ताक्षर करना।                              |
|              | 17 | चल एवं अचल सम्पत्ति की देखरेख व सुरक्षा करना।  |
|              | 18 | संस्था के वित्तीय मामलों में निर्णय लेना।  |



Principal  
Dr. Rajkumari Ram Sardar Yadav  
Institute of Medical Sciences  
Ghatampur, Milkipur, Ayodhya

सत्य प्रतिलिपि  
18/12/12  
R. S. Yadav  
प्रबंधक/सचिव  
18/12/12



कोषाध्यक्ष

- 13 संस्था की जोर से पत्र व्यवहार करना।
- 14 संस्था का कार्यालयी प्रबंध देखना।
- 1 आय-व्यय का लेखा जोखा रखना।
- 2 सदस्यों से सदस्यता शुल्क, चन्दा, दान आदि प्राप्त करना एवं उसकी रसीद देना।
- 3 प्रबन्धक/सचिव द्वारा हस्ताक्षरित विलों का भुगतान करना।

10. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :

संस्था के नियमों एवं विनियमों के संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा।

11. संस्था का कोष :

संस्था का समस्त कोष स्थानीय मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा, जिसका आहरण प्रबन्धक/सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त के हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।

12. संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण आडिट :

संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष किसी सुयोग्य आडिटर द्वारा कराया जायेगा।

13. संस्था के द्वारा अथवा उसके विलों में अवाली कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :

संस्था द्वारा होने वाली पक्ष-विपक्ष के मुकदमों की पैरवी प्रबन्धक/सचिव अथवा उसके द्वारा अधिकृत अन्य किसी व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

14. संस्था के अभिलेख



- 1 सदस्यता रजिस्टर
- 2 कार्यवाही रजिस्टर
- 3 सूचना/एजेण्डा रजिस्टर
- 4 लेजर-कैशबुक आदि

15. संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक : 05/07/2009

सत्य प्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि

R.S. Yadav  
हस्ताक्षर

उप निरन्तर  
गर्व समितियों तथा विद्वान  
के नाम पर

18/11/12

18/11/12

राजकुमारी देवी



Nivek  
Principal

Dr. Rajkumari Ram Sardar Yadav  
Institute of Medical Sciences  
Ghatampur, Milkipur, Ayodhya